

प्रेषिका,

नीतू पाठक
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भ्र0नि0
/विशेष न्यायाधीश,सी0बी0आई0
कोर्ट संख्या-1, लखनऊ।

सेवा में,

निबन्धक (न्यायिक)(सर्विसेस)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

पत्रांक:

लखनऊ:दिनांक:

विषय:-ट्रेनिंग से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-413/एडमिन.(सर्विसेस)/2019 दिनांकित:इलाहाबाद: अगस्त 27, 2019 के द्वारा मुझे Management Development Programme/Capacity Building Programme at Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi में दिनांक 16.09.2019 से 20.09.2019 तक प्रशिक्षण हेतु नॉमित किया गया है। मेरी बायीं आँख में तकलीफ होने के कारण दिनांक 06.09.2019 को आँख का ऑपरेशन हुआ है। इसके पूर्व भी मेरी इसी बायीं आँख में रेटीना सम्बन्धी बीमारी के कारण दिनांक 13.09.2017 एवं 20.03.2018 को दो आपरेशन हो चुके हैं। इस ऑपरेशन के उपरान्त पूर्व मेडिकल इतिहास की गम्भीरता के दृष्टिगत चिकित्सीय परामर्श के अनुसार सभी शारीरिक श्रम, धूल-मिट्टी, धूप इत्यादि से बचने हेतु मुझे सावधानियाँ रखने हेतु निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए मैं दिनांक 06.09.2019 से 20.09.2019 तक चिकित्सीय अवकाश पर हूँ।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत मुझे Management Development Programme/Capacity Building Programme at Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi में दिनांक 16.09.2019 से 20.09.2019 तक प्रशिक्षण से छूट प्रदान करते हुए मुझे किसी अन्य अवधि में प्रशिक्षण हेतु नॉमित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीया,

Nitupathak
(नीतू पाठक)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भ्र0नि0
/विशेष न्यायाधीश,सी0बी0आई0
कोर्ट संख्या-1, लखनऊ।

दिनांक:09.09.2019

संलग्नक:उपरोक्तानुसार

कायस्थित जनपद न्यायाधीश, लखनऊ
3408/1-3/19 दिनांक 01/9/19
जनपद न्यायाधीश, लखनऊ